समयबद्ध/प्राथमिकता

संख्या- 9/1411/26-3-2014

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2014**

विषय:- दशमोत्तर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के फेल्ड ट्रांजेक्शन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-2072/स0क0/शिक्षा-अ/2014-15, दिनांक 22 अगस्त, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जो बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से बैंकों द्वारा वापस की गयी धनराशि के जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा बताये गये कारणों यथा-10 जनपदों द्वारा "ट्रांजेक्शन फेल" के कारण, 18 जनपदों द्वारा खाता त्रुटिपूर्ण/बन्द/विधिवत संचालित न होने/गलत होने/के0वाई0सी0 न भरने के कारण एवं 15 जनपदों द्वारा बैंक खाता/आई0एफ0एस0 कोड गलत होने के कारण धनराशि बैंकों द्वारा वापस किये जाने के सम्बन्ध में है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्रांक-1137/26-3-2013, दिनांक 23 जुलाई, 2014 'ट्रांजेक्शन फेल्योर' विषयक चेक तथा बैंक ड्राफ्ट लेखा शीर्षक-007060800200000 के कालम कोड संख्या-71 समाज कल्याण-डिपाजिट में जमा कराये जाने के दिशा-निर्देशों का पुन: संज्ञान लें।

3. जहाँ तक दशमोत्तर अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की वर्ष 2013-14 की अतिरिक्त मांग/पुर्न भुगतान/बैंकर्स चेकों से प्राप्त धनराशि के अन्तरण के संबंध में शासन के मार्गदर्शन का प्रश्न है, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मिस रिट याचिका संख्या-4903/2014 विजय कुमार एवं 4904/2014 अनुज कुमार में दिनांक 21-08-2014 को यह आदेश दिये गये हैं कि इस प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया स्थापित की जाय। अतएव छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

i. निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में एक 03 सदस्यीय समिति निदेशालय स्तर पर निम्नवत गठित की जाय -

1.	निदेशक, समाज कल्याण-	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण-	सदस्य
3.	योजना के नोडल अधिकारी, समाज कल्याण-	सदस्य सचिव

निदेशक, समाज कल्याण आवश्यकतानुसार राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) अथवा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि को समिति के सहायतार्थ अथवा किसी भी अन्य अधिकारी को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं।

ii. उक्त समिति वित्तीय वर्ष 2013-14 के ऐसे विशिष्ट मामले, जो 'ट्रांजेक्शन फेल्योर' के कारणों से आच्छादित है, पर विचार करेगी। विभागीय मद में वापस धनराशि के मामलों में शासन की पुर्वानुमति के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

iii. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जनपद के संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कोषागार/बैंक से स्वयं सूची(छात्रवार/संस्थावार) प्राप्त कर तथा छात्रों एवं संस्थाओं का नियमानुसार

http://shasanadesh.up.nic.in

भौतिक सत्यापन कर तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर मामलों को निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

iv. चूंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को जीरो फीस पर दाखिला दिया जाता है, अतएव यह सुनिश्चित करना जिला समाज कल्याण अधिकारी का दायित्व होगा कि उन्हें संबंधित संस्था द्वारा परीक्षा में बैठने दिया जाय तथा ऐसे मामलों में शुल्क प्रतिपूर्ति की समस्या का निस्तारण निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राथमिकता पर कराया जाय।

v. वर्ष 2013-14 के ऐसे सभी मामलों में जहां बैंकर्स चेक के माध्यम से वापस की गयी धनराशि उपलब्ध है, उनका नियमानुसार परीक्षण कर भुगतान विलम्बतम 31 अक्टूबर, 2014 तक करा दिया जाय।

vi. ऐसे प्रकरणों में जहां शासन के द्वारा ट्रांजेक्शन फेल्योर अथवा समयान्तर्गत कोषागार/बैंक में बिल प्रस्तुत न करने के कारण धनराशि व्यपगत हो गयी तथा इस वित्तीय वर्ष के बजट से धनराशि आहरित करने की अनुमति दे दी गयी है, उन सभी मामलों में सभी पात्र छात्र/छात्राओं का नियमानुसार भौतिक सत्यापन कराने एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाय। वर्ष 2013-14 के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के मामले में भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट से किया जाय।

vii. वर्ष 2014-15 से ट्रांजेक्शन फेल्योर के मामलों में 28 फरवरी तक जो प्रकरण प्राप्त होते हैं, उन पर समिति 31 मार्च के पूर्व विचार करते हुए निर्णय लेगी और नियमानुसार भुगतान की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

4- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कई मामलों में बैंक के द्वारा के0वाई0सी0 फार्म न भरे जाने अथवा अपर्याप्त बैलेंस होने के कारण अथवा खाता नियमित रूप से संचालित न होने के कारण छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि लाभार्थी के खाते में नहीं भेजी गयी। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मामलों में उपरोक्त कारणों से ट्रांजेक्शन फेल न करने का अनुरोध बैंकों से किया जाय और समय-समय पर राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में भी इस बिन्दु को विचारार्थ रखा जाय।

5- वित्तीय वर्ष 2014-15 से आन लाइन आवेदन की तिथि समाप्त होने के पश्चात 10 दिन का अतिरिक्त समय सभी छात्रों को उपलब्ध कराया जाय ताकि आवेदनकर्ताओं को अपने आवेदन पत्र में हुई त्रुटि को आनलाइन सुधारने का एक और अवसर मिल सके। इस सम्बन्ध में तत्काल एन0आई0सी0 से सम्पर्क करके आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

<u>संख्या व तददिनांक:</u>

प्रतिलिपि निदेशक, एन0आई0सी0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in